"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2016— चैत्र 8, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 (चैत्र 8, 1938)

क्रमांक-3799/वि.स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 9 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 8 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 8 में,-

(क) शब्द "अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल" के पूर्व, कोष्टक एवं अंक "(1)" अत:स्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची-2 के भाग 3 के अनुक्रमांक 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर, उप-धारा (1) के अधीन कर की दर और ऐसी विनिर्दिष्ट रकम प्रति लीटर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, उद्ग्रहित की जा सकेगी."

धारा 13 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 13 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(एक) खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) में; तथा

(दो) खण्ड (ख) में,

शब्द "या राज्य के बाहर माल के अन्तरण के रूप में" को विलोपित किये जाये; तथा

(ख) उप-धारा (5) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में, शब्द "या राज्य के बाहर माल के अन्तरण के रूप में माल के विक्रय के लिए" को विलोपित किये जाये.

धारा 19 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 19 में,-

(क) उप-धारा (2) में, शब्द एवं कोष्टक "खण्ड (क)" के पश्चात्, शब्द एवं कोष्टक "या खण्ड (ख)" अन्त:स्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप-धारा (4) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (तीन) की प्रविष्टि (4) को विलोपित की जाये.

धारा 22 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) में, शब्द "इस प्रकार निर्धारित या पुन: निर्धारित की गई कर की रकम के दो गुने से अनधिक ऐसी शास्ति व्यापारी पर अधिरोपित करेगा किन्तु वह निर्धारित की गई कर की रकम से कम की नहीं होगी." के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्टक "धारा 19 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (तीन) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज के अतिरिक्त, इस प्रकार निर्धारित या पुन: निर्धारित की गई कर की रकम के दो गुने से अनधिक किन्तु निर्धारित की गई कर की रकम के डेढ़ गुने से अन्यून, शास्ति उस पर अधिरोपित करेगा." प्रतिस्थापित किया जाये.

6. मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (4) के खंड (एक) के उप-खंड (क) में, शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 48 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 49 का संशोधन.

"(1) आयुक्त, स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें धारा 3 की उप-धारा (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगा सकेगा और उस अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसी जांच करवा सकेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, उस पर ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, जो कि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो, पारित कर सकेगा :

परन्तु,-

(क) आयुक्त इस उप-धारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण तब नहीं करेगा, जबकि उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय उपायुक्त अथवा बोर्ड के समक्ष अपील लंबित है या यदि, ऐसी अपील की जा सकती है तो उस समय का, जिसके कि भीतर वह फाइल की जा सकती है, अवसान नहीं हुआ है;

(ख) कोई पुनरीक्षण नहीं होगा,-

(एक) कर के भुगतान करने के संबंध में किसी व्यापारी का दायित्व अवधारित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध या निर्धारण के लिये इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी सूचना के विरुद्ध, निर्धारण आदेश पारित किये जाने के पश्चात् को छोड़कर; और

(दो) धारा 36 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध.

स्पष्टीकरण.- आयुक्त के किसी ऐसे आदेश, जिसके द्वारा हस्तक्षेप करने से इंकार किया गया है, के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि यह किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश है.

8. मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (2) में, शब्द "शास्ति के तौर पर ऐसी रकम चुकाए जो अपवंचित कर की रकम के तीन गुने से कम किन्तु पांच गुने से अधिक नहीं होगी" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्टक "धारा 19 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (तीन) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज के अतिरिक्त, शास्ति के तौर पर ऐसी रकम चुकाए जो अपवंचित कर की रकम के डेढ़ गुने से कम किन्तु दो गुने से अधिक नहीं होगी" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 54 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 64-क के परंतुक में, शब्द "वहां आयुक्त ऐसी राशि का भुगतान करने पर शमन की अनुज्ञा दे सकेगा जो कि उस रकम के दुगुने से अधिक न हो." के स्थान पर पर, शब्द, अंक और कोष्टक "वहां आयुक्त, धारा 19 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (तीन) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज के अतिरिक्त, ऐसी राशि के भुगतान करने पर शमन की अनुज्ञा दे सकेगा जो कि उस रकम के दुगुने से अधिक न हो." प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 64-क का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की अनुसूची-2 में,- अनुसूची-2 का संशोधन.

(क) भाग-1, 2 एवं 4 के कॉलम (3) के शीर्षक में, अंक "8" के स्थान पर, अंक एवं कोष्टक "8(1)" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) भाग-2 के अनुक्रमांक 44 के कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"खाने का तेल, वनस्पति तेल एवं खली (आइल केक) किन्तु नारियल तेल को छोड़कर"

(ग) भाग-3 के कालम (3) के शीर्षक में, शब्द, चिन्ह, अंक एवं कोष्टक "धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत)" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्टक "धारा 8(1) के अधीन कर की दर एवं धारा 8(2) के अधीन कर की विनिर्दिष्ट रकम प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये;

(घ) भाग-3 के अनुक्रमांक 1 के कॉलम (3) में, अंक "25" के स्थान पर, अंक, कोष्टक, शब्द तथा चिन्ह "25 (प्रतिशत) +1 रुपया प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ङ) भाग-3 के अनुक्रमांक 2 के कॉलम (3) में, अंक "25" के स्थान पर, अंक, कोष्टक, शब्द तथा चिन्ह "25 (प्रतिशत) +2 रुपया प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(च) भाग-4 के अनुक्रमांक 1 के कॉलम (3) में, अंक "14" के स्थान पर, अंक "14.5" प्रतिस्थापित किया जाये.

निरसन तथा व्यावृत्ति. 11. (1) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्र. 5 सन् 2015) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई या अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई दायित्व, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य, की गई कार्रवाई, अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत दायित्व समझी जाएगी.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य सरकार का यह मानना है कि कर संरचना को युक्तियुक्त करने और राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कर प्रक्रिया को सरल करने, कर राजस्व को गतिशील करने और कर प्रशासन में सुधार करने, की जरूरत है तथा इस उद्देश्य के लिये छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 18 मार्च, 2016

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

नियम 101(1) के अन्तर्गत विवरण

1. डीजल तथा पेट्रोल पर वैट से प्राप्त राजस्व में कमी की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए 1 जनवरी 2016 से प्रचलित 25 प्रतिशत वैट के अतिरिक्त, डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर तथा पेट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर की विनिर्दिष्ट दर(स्पेसिफिक रेट) से वैट उदगृहीत किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसूची-दो के भाग-तीन में संशोधन किया जाना आवश्यक था. विधानसभा सत्र चालू नहीं होने के कारण राजस्व हित में यह संशोधन तत्काल किये जाने हेतु आवश्यक संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अध्यादेश प्रख्यापित करते हुए किया गया है.

2. प्रस्तावित छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 में इसके अतिरिक्त धारा 8, 13, 19, 22, 48, 49, 54, 64-क तथा अनुसूची-2 में भी संशोधन प्रस्तावित किया गया है.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 8, 13, 19, 22, 48, 49, 54, 64 एवं अनुसूची -2 का सुसंगत उद्धरण

धारा 8 : कर का उद्ग्रहण

अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल पर कर ऐसी दर से जो उसके कालम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है; उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसा कर, इस अधिनियम के अधीन कर का चुकारा करने के लिए दायी व्यापारी की कर योग्य कुल राशि पर उद्गृहीत किया जाएगा.

धारा 13 : आगत कर का रिबेट

(1) उपधारा (5) के उपबंधों और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाएं, इस धारा में यथा उपबंधित आगत कर के रिबेट का दावा नीचे विनिर्दिष्ट की गई परिस्थितियों में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,-

(क) (i) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट कोई माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर विक्रय के लिए या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में विक्रय के लिए क्रय करता है, और

* * * * * *

(ख) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जिसमें पूंजीगत माल सम्मिलित है जो कि अनूसूची- 2 के भाग 1, 2, तथा 4 में विनिर्दिष्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे माल का अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के राज्य में विनिर्माण के लिए/विनिर्माण में या खनन के लिये/खनन में उपयोग या उपभोग के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्यिक के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में विक्रय के लिए या अनुसूची-1 और/या अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात करने के अनुक्रम में विक्रय के लिए अथवा धारा 38 की उपधारा (1) के खण्ड चार के प्रावधानों के अनुरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र में पंजीयत व्यवसायी को विक्रय के लिये क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी की विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

* * * * * *

(5) (क) (एक) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई माल विक्रय के प्रयोजन के लिए अन्य ऐसे व्यापारी से क्रय करके उक्त उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अधीन ऐसे माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है और अपनी विवरणी या विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर के मद्दे ऐसी रिबेट को समायोजित किया है तो ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में माल के विक्रय के लिये या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के रूप से अन्यथा ऐसे माल के व्ययन की दशा में ऐसी कर की राशि चुकाने का दायी होगा जिसके मद्दे पूर्वोक्त माल के संबंध में आगत कर के रिबेट उसके द्वारा समायोजित की गई थी.

(दो) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट कोई माल अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के उपयोग के लिए अथवा विनिर्माण के लिए/विनिर्माण में या खनन के लिए/खनन में ऐसे माल के उपयोग या उपभोग के प्रयोजन के लिए अन्य ऐसे व्यापारी से क्रय करने के पश्चात् उक्त उपधारा के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन ऐसे माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है और अपनी विवरणी या विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर के मद्दे ऐसी रिबेट समायोजित की है, तो ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में माल के विक्रय के लिये या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से अन्यथा रीति में विनिर्मित किए गए या खनन किए गए माल के व्ययन की दशा में, ऐसी कर की राशि चुकाने का दायी होगा जिसके मद्दे पूर्वोक्त माल के संबंध में आगत कर के रिबेट उसके द्वारा समायोजित की गई थी.

अध्याय-6

विवरणियां निर्धारण, भुगतान तथा कर की वसूली

19. (1)(क) (एक) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसे आयुक्त द्वारा विहित रीति में तामील की गई सूचना द्वारा, ऐसा करने के लिए अपेक्षित किया जाए; और

(दो) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी; और

(तीन) प्रत्येक व्यापारी, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारा 16 की उपधारा (10) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन निरस्त किया गया है, विवरणियों ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में ऐसी कालावधि के लिए, ऐसी तारीख तक तथा ऐसे प्राधिकारी को देगा जैसा विहित किया जाए; परन्तु आयुक्त ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाए किसी ऐसे व्यापारी को ऐसी विवरणियां तथा पत्रक देने से छूट दे सकेगा या किसी ऐसे व्यापारी को यह अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उक्त विवरणियां ऐसी भिन्न कालावधि के लिए, ऐसे अन्य प्रारूप में, और ऐसे प्राधिकारी को दे जैसा कि वह निर्देश दे.

(ख) प्रत्येक व्यापारी जिसे खण्ड (क) के अधीन विवरणियां देने के लिए अपेक्षित किया जाए, ऐसी तारीख को ऐसी कालावधि के लिए एक पत्रक ऐसे प्रारूप तथा ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी को जिसे विहित किया जाए, देगा.

* * * * * *

(2) यदि किसी व्यापारी को उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा दी गई विवरणी में किसी लोप, गलती या गलत कथन का पता चलता है, तो वह विहित रीति में तथा विहित समय के भीतर पुनरीक्षित विवरणी दे सकेगा.

* * * * * *

(4) (क) यदि उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई व्यापारी,-

(एक) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन विहित रीति में किसी कालावधि के लिए विवरणी के अनुसार देयकर की राशि का भुगतान नहीं करता है; या

(दो) उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करके उसमें उसके द्वारा मूल विवरणी में दर्शाई गई कर की रकम से अधिक कर की रकम शोध्य होना दर्शाता है; या

(तीन) विवरणी नहीं देता है, तो ऐसा व्यापारी,-

(1) विवरणी के अनुसार उसके द्वारा कर; या

(2) पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार देय कर की रकम के अन्तर; या

(3) उस कालावधि के लिए जिसके लिए उसने विवरणी नहीं दी है, देय कर के संबंध में 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उस तारीख से जिसको कि ऐसा देय कर शोध्य हो गया था उसके भुगतान की तारीख तक या कर निर्धारण आदेश की तारीख तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, चुकाने का दायी होगा.

(4) यदि कोई व्यापारी ऐसे देय कर की राशि जो शोध्य हो गया था का भुगतान आगामी वर्ष की प्रथम तिमाही के विवरण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख के पूर्व करने में विफल रहता है तो ऐसी तारीख से उपखंड (तीन) की प्रविष्टि क्रमांक (3) के अधीन भुगतान योग्य ब्याज के अतिरिक्त 1 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने के लिये दायी होगा.

स्पष्टीकरण - इस खण्ड के प्रयोजन के लिए,-

(1) जहां चूक की कालावधि एक मास की कालावधि से कम है, वहां ऐसी कालावधि के लिए देय ब्याज की संगणना आनुपातिक रूप से की जाएगी.

(2) "मास" से अभिप्रेत है तीस दिन.

धारा-22

कतिपय परिस्थितियों में कर निर्धारण/पुन: कर निर्धारण

(1) जहां इस अधिनियम के या इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गए अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी का कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण किया जा चुका है और इस अधिनियम के या इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गए अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन माल के किसी विक्रय या क्रय पर किसी कारण से, किसी कालावधि के दौरान,-

(क) कम कर निर्धारण हुआ है या वह कर निर्धारण से छूट गया है; या

(ख) उस पर कम दर से कर निर्धारण हुआ है; या

(ग) कर निर्धारण करते समय उसमें से कोई कटौती गलत तौर पर की गई है; या

(घ) कर निर्धारण करते समय आगत कर की रिबेट गलती से अनुज्ञात की गई है; या

(ङ) वह किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश जो अंतिम हो चुका है, के परिणामस्वरूप या उसकी दृष्टि से गलत और राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हो जाता है; तो आयुक्त, कर निर्धारण के आदेश अथवा किसी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय अथवा आदेश की तारीख से पांच कैलेण्डर वर्ष की कालावधि के भीतर, किसी भी समय, विहित प्ररूप में नोटिस जारी करके ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, उस कर का जो ऐसे व्यापारी द्वारा देय है, यथास्थिति, कर निर्धारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा तथा कर के लिए उसका निर्धारण या पुन:निर्धारण कर सकेगा.

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण व्यापारी के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां आयुक्त, इस प्रकार निर्धारित या पुन: निर्धारित की गई कर की रकम के दो गुने से अनधिक ऐसी शास्ति व्यापारी पर अधिरोपित करेगा किंतु वह निर्धारित की गई कर की रकम से कम की नहीं होगी.

* * * * * *

धारा-48

अपील, पुनरीक्षण तथा परिशुद्धि

धारा 48 अपील

* * * * * *

(4) कोई अपील, -

(एक) अपर आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त द्वारा उपधारा (1) के अधीन, तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि व्यापारी द्वारा शोध्य कुल अतिशेष में से, -

(क) उस दशा में, जब कि उस कालावधि के लिए जिससे कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, संबंधित है, समस्त विवरणियां फाइल कर दी गई है, तथा ऐसी विवरणियों के अनुसार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, ऐसे अतिशेष का दस प्रतिशत;

* * * * * *

धारा-49

आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति

(1) आयुक्त -

(एक) स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें धारा 3 की उपधारा (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगा सकेगा, या

(दो) आदेश की तारीख से उस कालावधि के भीतर, जो कि विहित की गई हो, किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें कि कोई आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगाएगा.

और उस अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसे जांच करवा सकेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उस पर जैसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, [73] (पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन फाइल करने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर) जो कि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो पारित कर सकेगा :-

परन्तु -
आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण तब तक नहीं करेगा -

(क) जबकि उस आदेश के विरुद्ध [74] (अपर आयुक्त या) अपीलीय उपायुक्त अथवा (अधिकरण) के समक्ष अपील लंबित है या यदि, ऐसी अपील की जा सकती है तो उस समय का, जिसके कि भीतर वह फाइल की जा सकती है, अवसान नहीं हुआ है.

(ख) कर का भुगतान करने के संबंध में किसी व्यापारी का दायित्व अवधारित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा या निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी सूचना के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही होगा, अन्यथा नहीं, और

(ग) धारा 36 के अधीन किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा.

[75] (घ) कोई पुनरीक्षण, तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि व्यापारी या व्यक्ति, कर निर्धारण आदेश के अनुसार कुल देय राशि में से, ऐसे कर और ब्याज की राशि, जो उनके द्वारा देय होना मान्य हो, का भुगतान नहीं कर देता.

स्पष्टीकरण - आयुक्त के किसी ऐसे आदेश, जिसके द्वारा हस्तक्षेप करने से इंकार किया गया है, के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश है.

* * * * * *

धारा-54

कतिपय परिस्थितियों में शास्ति अधिरोपित करने की आयुक्त या अपर आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या (अधिकरण) की शक्ति

* * * * * *

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही यथास्थिति, आयुक्त या अपर आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या अधिकरण द्वारा व्यापारी को सुनवाई का अवसर देने के लिए, विहित प्ररूप में सूचना जारी कर के शुरु की जाएगी. व्यापारी की सुनवाई कर ली जाने पर यथास्थिति, आयुक्त या अपर आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या अधिकरण ऐसी कार्यवाही शुरु किए जाने की तारीख से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर, व्यापारी को इस संबंध में निर्देश देते हुए आदेश पारित करेगा कि वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त शास्ति के तौर पर ऐसी रकम चुकाए जो अपवंचित कर की रकम के तीन गुने से कम किंतु पांच गुने से अधिक नहीं होगी.

* * * * * *

धारा-64

अपराध तथा शास्तियां

64-क : अपराधों का शमन

ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाये, आयुक्त या तो इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रारंभ किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया है, एक हजार रुपये से अनधिक ऐसी राशि का, जो कि आयुक्त अवधारित करें भुगतान करने पर, उस अपराध के शमन की अनुज्ञा दे सकेगा.

परंतु जहां अपराध धारा 64 की उपधारा (1) के खण्ड (ख),(ग) और (घ) के अधीन अपराध है, और कर की रकम, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उस दशा में देय होती जबकि उसने इस अधिनियम के उपबंधों का पालन किया होता, पांच सौ रुपये से अधिक है, वहां आयुक्त ऐसी राशि का भुगतान करने पर शमन की अनुज्ञा दे सकेगा जो कि उस रकम के दुगुने से अधिक न हो. शमन पश्चात् कथित कार्यवाही समाप्त हो जावेगी.

अनुसूची-2
(धारा 8 देखिये)

भाग-1

अनुक्रमांक (1)	विवरण (2)	धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत) (3)

भाग-2

अनुक्रमांक (1)	विवरण (2)	धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत) (3)
**	**	**
44.	खाने का तेल वनस्पति तेल, खली (आइल केक), तेल रहित खली (डिआइल्ड केक)	5
**	**	**

भाग-3

अनुक्रमांक (1)	विवरण (2)	धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत) (3)
1	डीजल	25
2	पेट्रोल	25

भाग-4

अनुक्रमांक (1)	विवरण (2)	धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत) (3)
1.	समस्त अन्य माल जो अनुसूची-1 तथा इस अनुसूची के भाग-एक से चार के अंतर्गत नहीं आते हैं.	14

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.